


हरियाणा सरकार पर
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
के प्रतिवेदनों का सार
समाप्त वर्ष 31 मार्च 2012

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़



विषय वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन		
1.	विशिष्टताएं	1
2.	राज्य सरकार के वित्त	5
3.	वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण	6
4.	वित्तीय प्रतिवेदन करना	7
2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 राजस्व क्षेत्र		
5.	विशिष्टताएं	8
6.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	8
7.	प्रणाली मूल्यांकन/निष्पादन लेखापरीक्षाएं	9
	निर्माण सविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण	9
	यात्रियों तथा माल कर से प्राप्तियां	10
8.	अनुच्छेदों के रूप में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम	10
	कर प्राप्तियां	
	बिक्री कर/वैट (आबकारी एवं कराधान विभाग)	10
	स्टाम्प शुल्क (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)	10
	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (आबकारी एवं कराधान विभाग)	10
2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)		
9.	विशिष्टताएं	11
10.	सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षाएं	12
	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	12
	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	14
11.	विषयक लेखापरीक्षा	15
12.	संपादनों की लेखापरीक्षा	15

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (नॉन-पी.एस.यू.ज)		
13.	विशिष्टताएं	16
14.	कार्यक्रमों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा	
	हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड	18
	सिंचाई विभाग का कार्यचालन	18
	भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन	19
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	20
15.	विषयक लेखापरीक्षा	21
16.	संपादनों की लेखापरीक्षा	22
17.	मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा	
	तकनीकी शिक्षा विभाग	25
2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 जिला लेखापरीक्षा गुड़गांव		
18.	विशिष्टताएं	26
19.	आयोजना	26
20.	वित्तीय प्रबंधन तथा लेखांकन ढांचा	27
21.	सामाजिक सेवाएं	27
22.	आर्थिक सेवाएं	29
23.	सामान्य सेवाएं	29
24.	ई - गवर्नेंस	29

प्राक्कथन


यह पुस्तिका, सरसरी दृष्टि में, हरियाणा सरकार से संबंधित 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों [(राज्य के वित्त, राजस्व क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य, आर्थिक क्षेत्र), सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (नॉन-पी.एस.यूज) तथा जिला लेखापरीक्षा गुड़गांव)] की विषय-वस्तु को प्रस्तुत करती है। ये प्रतिवेदन हरियाणा सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम अन्तर्विष्ट करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक, राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए बिन्दुओं के अतिरिक्त लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्यपाल को अग्रेषित करते हैं जो उन्हें *विधान सभा* के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं।

राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के विधान सभा को प्रस्तुत किए गए राज्य के वित्त, राजस्व क्षेत्र, सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (नॉन-पी.एस.यूज) तथा जिला लेखापरीक्षा गुड़गांव के संबंध में प्रतिवेदन लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र) के संबंध में, लोक उपक्रम समिति (कोपू) को संदर्भित किए जाते हैं। सरकारी विभागों द्वारा समितियों को सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों एवं समीक्षाओं पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई स्वतः कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत की जानी होती हैं। समितियां इन अनुच्छेदों/समीक्षाओं में से कुछ का चयन विस्तृत परीक्षण हेतु करती हैं जिसके पश्चात् उनकी अभ्युक्तियों तथा अनुशंसाओं से समायुक्त रिपोर्ट *विधान सभा* को प्रस्तुत की जाती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप सदैव संबंधित विभाग के सचिव को उनकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि विधानसभा में प्रस्तुतिकरण से पहले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सरकार के विचार शामिल किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप अनुच्छेदों का निपटान जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए तथा संबंधित विभाग की टिप्पणियां छः सप्ताह के भीतर लेखापरीक्षा को सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अत्यधिक प्रकरणों में प्रारूप अनुच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियों को प्रेषित करने सम्बन्धी प्रावधानों की अनुपालना विभागों ने नहीं की थी।

इस पुस्तिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का केवल संक्षिप्त वृत्तान्त समाविष्ट है। इस दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को मूल प्रतिवेदनों के यथा सम्भव समरूप रखने का हमारा प्रयास रहा है फिर भी विस्तृत तथ्यों एवं आंकड़ों के लिए मूल प्रतिवेदनों का आश्रय लेना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए जिन अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है उनके नाम एवं दूरभाष नम्बर इस प्रकाशन के अन्तिम आवरण पृष्ठ के अन्दर वाले पृष्ठ पर दिए गए हैं।



राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2011-12 हेतु राज्य सरकार के वित्तों, वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण पर अभ्युक्तियों एवं हरियाणा सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग से समायुक्त तीन अध्याय सम्मिलित हैं।

विशिष्टताएं

- वित्तीय मापदण्डों में प्रवाहों के निबंधन में विचार की गई राज्य की वित्तीय स्थितियां अर्थात् राजस्व, वित्तीय एवं प्राइमरी घाटा जो 2011-12 के अंत में क्रमशः ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ तथा ₹ 3,152 करोड़ पर स्थिर था, राज्य के समग्र वित्तीय असंतुलन इंगित करता है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2011-12 के लिए शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।
- वेतन व्यय, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतानों तथा परिदानों ने 2011-12 के दौरान योजनेतर राजस्व व्यय का लगभग 83 प्रतिशत संगठित किया।
- कुल परिदानों (₹ 3,853 करोड़) का 93 प्रतिशत (₹ 3,585 करोड़) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र के लिए था।
- सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर आवर्त 2011-12 में 0.02 प्रतिशत था जबकि सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर 9.73 प्रतिशत थी।
- सरकार की बकाया वित्तीय देयताएं 2010-11 में ₹ 46,282 करोड़ से 2011-12 में ₹ 54,540 करोड़ तक 17.84 प्रतिशत तक बढ़ गई तथा राजस्व प्राप्तियों के 1.78 गुणा पर रही।
- राज्य में विभिन्न समाजिक एवं विकासीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति ने ₹ 263.45 करोड़ के आधिक्य की ऑफसेटिंग के बावजूद ₹ 9,450.85 करोड़ की समग्र बचतें छोड़ी।
- इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण इंगित करते हुए 12 मामलों में वास्तविक बचतों से ₹ 861.36 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण सहित ₹ 5,441.23 करोड़ अभ्यर्पित (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या ज्यादा का आधिक्य) किए गए थे।
- 18 मामलों में (₹ एक करोड़ तथा अधिक की बचतें) ₹ 3,451.81 करोड़ की बचतों में से ₹ 847.76 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थी।
- 41 मामलों में (₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों का अभ्यर्पण) ₹ 9,715.55 करोड़, वित्तीय वर्ष के अंतिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किए गए थे।
- सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की विभिन्न विभागों में अनुपालना की कमी थी जैसा कि विभिन्न ग्रांटी संस्थाओं द्वारा ऋणों एवं अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में हुए असामान्य विलम्बों से स्पष्ट था। स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं का प्रस्तुतिकरण भी विलंबित था। हानियों और दुरुपयोगों के दृष्टांतों की जांच लम्बी अवधि से जारी है। 2011-12 के दौरान प्राप्ति तथा व्यय की महत्वपूर्ण राशियां बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी, जिसका वित्तीय रिपोर्टिंग में अधिक पारदर्शिता के लिए परिहार किया जाना चाहिए।

वित्त लेखाओं के सार

वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियां एवं सवितरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				सवितरण			
	2010-11	2011-12		2010-11	2011-12		
				योजनेतर	योजनागत	कुल	
भाग -- क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	25,563.67	30,557.59	राजस्व व्यय	28,310.19	24,222.90	7,791.99	32,014.89
कर राजस्व	16,790.37	20,399.46	सामान्य सेवाएं	9,328.14	10,155.47	64.36	10,219.83
कर - भिन्न राजस्व	3,420.93	4,721.65	सामाजिक सेवाएं	10,904.08	7,092.54	5,549.13	12,641.67
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	2,301.75	2,681.55	आर्थिक सेवाएं	7,996.73	6,875.47	2,178.50	9,053.97
भारत सरकार से अनुदान	3,050.62	2,754.93	सहायता अनुदान एवं अंशदान*	81.24	99.42	-	99.42
भाग -- ख: पूंजी							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.00	9.24	पूंजीगत परिव्यय	4,031.10	1,018.17	4,354.16	5,372.34
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	233.05	294.12	सवितरित ऋण एवं अग्रिम	721.87	262.86	364.21	627.07
लोक ऋण प्राप्तियां**	9,842.73	10,766.83	लोक ऋण का पुनर्भूगतान**	3,971.08	-	-	4,037.14
आकस्मिक निधि	192.83	167.52	आकस्मिक निधि	192.83	-	-	167.52
लोक लेखा प्राप्तियां	16,594.62	19,259.75	लोक लेखा सवितरण	15,324.41	-	-	17,051.18
आरम्भिक नकद शेष	493.42	376.84	अंतिम नगद शेष	376.84	-	-	2,161.75
कुल	53,928.32	61,431.89	कुल	53,928.32			61,431.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा तथा अभ्यर्पण।

** अर्थोपाय अग्रिमों के संपादनो अर्थात् ₹ 974.27 करोड़ प्राप्त और ₹ 974.27 करोड़ भुगतान के बिना।

मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	30,474.17	2,159.13	32,633.30	27,891.42	(-) 4,741.88
	II पूंजीगत	9,017.58	633.21	9,650.79	8,805.08	(-) 845.71
	III ऋण एवं अग्रिम	956.90	202.88	1,159.78	627.07	(-) 532.71
कुल दत्तमत		40,448.65	2,995.22	43,443.87	37,323.57	(-) 6,120.30
भारित	IV राजस्व	4,586.12	14.28	4,600.40	4,224.51	(-) 375.89
	V पूंजीगत	50.00	30.00	80.00	69.60	(-) 10.40
	VI लोक ऋण - पुनर्भूगतान	6,666.12	1,289.55	7,955.67	5,011.41	(-) 2,944.26
कुल भारित		11,302.24	1,333.83	12,636.07	9,305.52	(-) 3,330.55
आकस्मिक निधि विनियोजन (यदि कोई है)		-	-	-	-	-
कुल योग		51,750.89	4,329.05	56,079.94	46,629.09	(-) 9,450.85

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 101.04 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 3,502.35 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

राज्य सरकार के वित्तों पर टाइम सीरीज डाटा

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग - क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	19,751	18,452	20,993	25,564	30,558
(i) कर राजस्व	11,618(59)	11,655(63)	13,220(63)	16,790(66)	20,399(67)
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	7,721(67)	8,155(70)	9,032(68)	11,082(66)	13,384(66)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,379(12)	1,419(12)	2,059(16)	2,366(14)	2,832(14)
वाहनों पर कर	234(2)	239(2)	277(2)	457(3)	740(4)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,763(15)	1,326(12)	1,294(10)	2,319(14)	2,793(14)
भू-राजस्व	9(-)	9(-)	9	10	11
माल एवं यात्रियों पर कर	379(3)	370(3)	392(3)	387(2)	429(2)
विजली पर कर एवं शुल्क	108(1)	106(1)	120(1)	130(1)	166
अन्य कर	25	31	37	39	44
(ii) कर-भिन्न राजस्व	5,097(26)	3,238(18)	2,741(13)	3,421(13)	4,722(15)
(iii) संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	1,634(8)	1,725(9)	1,775(8)	2302(9)	2,682(9)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1,402(7)	1,834(10)	3,257(16)	3,051(12)	2,755(9)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10	7	9	8	9
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	214	352	213	233	294
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्ति (1+2+3)	19,975	18,811	21,215	25,805	30,861
5. लोक ऋण प्राप्तियां	844	3,888	8,455	9,843	10,767
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	776(92)	3,822(98)	8,320(98)	9,535(97)	10,669(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	68(8)	66(2)	135(2)	308(3)	98(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	20,819	22,699	29,670	35,648	41,628
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	193	168
8. लोक लेखे प्राप्तियां	9,433	12,308	15,789	16,595	19,260
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	30,252	35,007	45,459	52,436	61,056
भाग - ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17,527	20,534	25,257	28,310	32,015
योजनागत	3,176(18)	3,918(19)	5,715(23)	6,251(22)	7,792(24)
योजनेत्तर	14,351(82)	16,616(81)	19,542(77)	22,059(78)	24,223(76)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	5,230(30)	6,024(30)	7,755(31)	9,328(33)	10,220(32)
आर्थिक सेवाएं	6,222(35)	7,035(34)	7,530(30)	7,997(28)	9,054(28)
सामाजिक सेवाएं	5,739(33)	7,259(35)	9,902(39)	10,904(39)	12,641(39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	337(2)	216(1)	70(-)	81(-)	99
11. पूंजीगत व्यय	3,426	4,502	5,218	4,031	5,372
योजनागत	3,411(100)	3,990(89)	4,203(81)	3,845(95)	4,354(81)
योजनेत्तर	15	512(11)	1,015(19)	186(5)	1,018(19)
सामान्य सेवाएं	171(5)	195(4)	187(4)	199(5)	235(5)
आर्थिक सेवाएं	2,333(68)	3,198(71)	3,961(76)	2,602(65)	3,770(70)
सामाजिक सेवाएं	922(27)	1,109(25)	1,070(20)	1,230(31)	1,367(25)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	286	332	830	722	627
13. कुल (10+11+12)	21,239	25,368	31,305	33,063	38,014
14. लोक ऋण के पुनर्भूगतान	841	1,292	2,746	3,971	4,037
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	728(87)	1,178(91)	2,576(94)	3,846(97)	3,812(94)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	113(13)	114(9)	170(6)	125(3)	225(6)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	190	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	22,080	26,660	34,051	37,224	42,051
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	-	3	168
18. लोक लेखे संवितरण	8,818	11,442	14,320	15,324	17,051
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30,898	38,102	48,371	52,551	59,270
भाग ग - घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(+) 2,224	(-)2,082	(-)4,264	(-)2,746	(-) 1,457
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-) 1,264	(-)6,557	(-)10,090	(-)7,258	(-) 7,153
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(+) 1,082	(-)4,218	(-)7,353	(-)3,939	(-) 3,152

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग - घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,346	2,339	2,737	3,319	4,001
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,572	2,053	1,947	2,223	3,306
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	-	92(5)	170(7)	670(8)	974(11)
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज ¹	-	0.04	0.05	1.16	1.51
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ²	1,51,607	1,82,502	2,22,031	2,64,149	3,09,326
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	29,118	32,278	39,337	46,282	54,540
29. ब्याज गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	4,402	4,575	4,536	4,528	5,608
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	6,341	5,188	4,757	5,515	10,690
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	23	29	15	21	8
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरोध पूंजी (₹ करोड़ में)	74.74	85.60	30.00	41	186
भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वयं का कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.077	0.064	0.060	0.063	0.066
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.034	0.018	0.012	0.013	0.015
केन्द्रीय अन्तरण/जी.एस.डी.पी.	0.011	0.009	0.008	0.009	0.009
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.140	0.139	0.141	0.125	0.123
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.075	1.375	1.491	1.293	1.244
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.825	0.809	0.807	0.856	0.842
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.314	0.330	0.364	0.374	0.368
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.409	0.409	0.374	0.329	0.337
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.161	0.177	0.167	0.122	0.141
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.153	0.170	0.161	0.116	0.135
III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.015	(-) 0.011	(-)0.019	(-)0.010	(-) 0.005
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.008	(-) 0.036	(-)0.045	(-)0.027	(-) 0.023
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.007	(-) 0.023	(-)0.033	(-)0.015	(-) 0.010
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	(-) 1.759	0.318	0.423	0.378	0.204
प्राथमिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	0.005	(-) 0.022	(-)0.033	(-)0.021	(-) 0.012
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/जी.एस.डी.पी.	0.192	0.177	0.177	0.180	0.176
वित्तीय देयताएं/आर.आर	1.474	1.749	1.187	1.811	1.785
परिभाषा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	0.409	(-) 1.437	(-) 4.181	(-) 1.004	0.924
ऋण विमोचन (मूल + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	1.338	0.897	0.740	0.831	0.810
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर आवर्त	6.05	8.27	9.60	2.48	1.64
वर्तमान राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	4,300	572	(-)117	2,326	4,977
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.94	0.88	0.80	0.77	0.78

1 अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 1.51 करोड़ का ब्याज 5.25 से 11.25 प्रतिशत की दर पर दिया गया था।

2 निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा द्वारा यथा संप्रेषित वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. आंकड़े। 2009-10 के लिए जी.एस.डी.पी. के आंकड़े अस्थायी अनुमान पर, 2010-11 तुरन्त अनुमानों पर और 2011-12 अग्रिम अनुमानों पर हैं।

I राज्य सरकार के वित्त

वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा

वित्तीय मापदण्डों में प्रवाहों के निबंधन में विचार की गई राज्य की वित्तीय स्थितियां अर्थात् राजस्व, वित्तीय एवं प्राइमरी घाटा, जो 2011-12 के अंत में क्रमशः ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ तथा ₹ 3,152 करोड़ पर स्थिर था, राज्य के समग्र वित्तीय असंतुलन इंगित करता है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2011-12 के लिए शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां 2010-11 में ₹ 25,564 करोड़ से 2011-12 में ₹ 30,558 करोड़ तक बढ़ गई। 2011-12 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (₹ 20,399 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,722 करोड़) का हिस्सा क्रमशः 67 एवं 15 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान सघीय करों एवं शुल्कों तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदानों के राज्य के हिस्से ने ₹ 5,437 करोड़ (18 प्रतिशत) अंशदत्त किया।

कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व

कर राजस्व 2011-12 के दौरान ₹ 3,609 करोड़ (22 प्रतिशत) तक बढ़ गया तथा कर-भिन्न राजस्व उसी अवधि के दौरान 'पशुपालन' तथा 'बृहद् एवं मध्यम सिंचाई' के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण ₹ 1,301 करोड़ (38 प्रतिशत) तक बढ़ गया था। स्वयं का कर राजस्व, वित्तीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) द्वारा 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्यों का 1.70 प्रतिशत तक कम पड़ गया किंतु तेरहवें वित्त आयोग (टीएच.एफ.सी.) तथा राज्य सरकार के मध्यम अवधि वित्तीय आयोजना विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) द्वारा निर्धारित लक्ष्य का क्रमशः 1.13 प्रतिशत तथा दो प्रतिशत तक उच्चतर था। जबकि कर-भिन्न राजस्व, टीएच.एफ.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 65 प्रतिशत तक कम था किंतु एफ.सी.पी. तथा एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए प्रक्षेपणों से क्रमशः तीन प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तक उच्चतर था।

राज्य सरकार के व्यय

ऋणों एवं अग्रिमों सहित कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2010-11 में ₹ 33,063 करोड़ से 2011-12 में ₹ 38,014 करोड़ तक, 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़ गया। राजस्व व्यय ने, 2011-12 के दौरान कुल व्यय का 84 प्रतिशत संघटित किया। पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर), जो कुल व्यय का केवल 14 प्रतिशत था, 2010-11 में ₹ 4,031 करोड़ से 2011-12 में ₹ 5,372 करोड़ तक 33 प्रतिशत बढ़ गया। ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण पर व्यय 2010-11 में ₹ 722 करोड़ से 2011-12 में ₹ 627 करोड़ तक घट गया। 2011-12 में ₹ 24,223 करोड़ का योजनेत्तर राजस्व व्यय, टीएच.एफ.सी. के मानकीय निर्धारण तथा एफ.सी.पी. में किए गए प्रक्षेपणों से उच्चतर था परंतु एम.टी.एफ.पी.एस. में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों के भीतर था।

ब्याज भुगतान	2011-12 में ₹ 4,001 करोड़ के ब्याज भुगतानों ने राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत उपभुक्त किया तथा राज्य सरकार के राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत संघटित किया।
अविकासशील व्यय	चालू वर्ष के दौरान वेतनों (₹ 9,960 करोड़), पेंशनों (₹ 3,204 करोड़), ब्याज भुगतानों (₹ 4,001 करोड़) तथा परिदानों (₹ 3,853 करोड़) पर भारी व्यय ने एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित 52 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों का 69 प्रतिशत उपभुक्त किया।
निवेशों पर नगण्य आवर्त	सरकार ने, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों इत्यादि में ₹ 6,981.91 करोड़ के कुल निवेश पर 2011-12 के दौरान केवल 0.02 प्रतिशत (₹ 1.64 करोड़) का लाभांश प्राप्त किया। बारह सरकारी कंपनियों में जिनमें सरकार ने 2011-12 तक ₹ 6,558 करोड़ निवेशित किए थे, इन कंपनियों द्वारा 2011-12 तक प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार ₹ 7,203 करोड़ तक हानियां संचित हो गई थी।
कुल ऋणता	राज्य सरकार की कुल ऋणता 2007-08 में ₹ 29,118 करोड़ से 2011-12 में ₹ 54,540 करोड़ तक 87 प्रतिशत बढ़ गई थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में ये देयताएं 2007-08 में 0.192 प्रतिशत से 2011-12 में 0.176 प्रतिशत तक किंचित घट गई तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.78 गुणा पर स्थिर रही।

II. वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

विनियमित न किया गया अधिक व्यय	2008-11 के दौरान संस्वीकृत राशियों पर ₹ 964 करोड़ का अधिक व्यय भारत के संविधान की धारा 205 के निबन्धन में विनियमित नहीं किया गया। 2011-12 के दौरान ₹ 263 करोड़ का अधिक व्यय भी संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमित किया जाना अपेक्षित है।
अनावश्यक/अत्यधिक पूरक अनुदान	वर्ष के दौरान 25 प्रकरणों में प्राप्त ₹ 2,414.11 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि प्रत्येक प्रकरण में व्यय मूल प्रावधान से कम था। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन 70 प्रकरणों में ₹ 2,321.69 करोड़ तक अधिक तथा 49 प्रकरणों में ₹ 1,228.72 करोड़ तक अपर्याप्त सिद्ध हुए।
प्रावधान के बिना व्यय	₹ 579.75 करोड़ का व्यय, या तो मूल अनुमान/पूरक मांगों में अथवा पुनर्विनियोजन आदेशों के द्वारा कोई प्रावधान किए बिना किया गया था।

वास्तविक बचतों/अनभ्यर्पित प्रत्याशित बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण	12 प्रकरणों में, ₹ 4,579.87 करोड़ की वास्तविक बचतों के विरुद्ध ₹ 5,441.23 करोड़ अभ्यर्पित किए गए परिणामतः ₹ 861.36 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। अन्य 18 प्रकरणों में ₹ 3,451.81 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 847.76 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, 41 प्रकरणों में, ₹ 9,715.55 करोड़ मार्च 2012 के अंतिम दो कार्य दिवसों पर अभ्यर्पित किए गए थे।
बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण	सोलह आहरण एवं सवितरण अधिकारियों ने ₹ 30.26 करोड़ आहरित किए थे जो न तो विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु पूर्णतः व्यय किए गए न ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी लेखे को प्रेषित किए गए।

III वित्तीय प्रतिवेदन करना

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब	यद्यपि 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि हेतु ₹ 1,148.60 करोड़ के 1,253 उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्रामीण विकास, शिक्षा, खेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शहरी विकास तथा उद्योग विभागों से प्रतीक्षित थे। नए अनुदान, पूर्ववर्ती अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना, सवितरित किए गए।
लेखाओं का अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलंब	187 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें 1982-83 एवं 2011-12 के मध्य ₹ 2,005.40 करोड़ के अनुदान निर्मुक्त किए गए थे, से संबंधित 533 वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के प्रावधान को आकृष्ट करते हैं।
चोरी, हानियां एवं गबन इत्यादि	चोरी, हानियों एवं गबन इत्यादि के मामले निर्णय करने में असामान्य विलंब था, जो एक एवं 25 से अधिक वर्षों के मध्य श्रृंखलित था।
बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 का परिचालन	आय (₹ 4,521.59 करोड़ अर्थात् कुल प्राप्तियों का 15 प्रतिशत) तथा व्यय (₹ 5,661.35 करोड़ अर्थात् कुल व्यय का 15 प्रतिशत) की पर्याप्त राशियां 2011-12 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष- '800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' के अंतर्गत, वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करते हुए वर्गीकृत किए गए थे।

2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1
राजस्व क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,746.01 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 18 अनुच्छेद एवं 'निर्माण संविदा पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण' तथा 'यात्री एवं माल कर से प्राप्तियों' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्मिलित हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 1,745.93 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की हैं जिनमें से ₹ 0.62 करोड़ वसूल किए गए हैं।

विशिष्टताएं

- अवर्गीकृत मद के संबंध में कर की गलत दर के प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ (₹ 3.81 करोड़ के ब्याज सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।
- अनुबंध शर्तों की धारा जोखिम एवं लागत पर बिक्रियों की पुनः नीलामी के पश्चात् सरकार को ₹ 2.67 करोड़ के राजस्व से वंचित रखते हुए विभाग ने, रिटेल लिकर आऊटलेट्स के 17 चूककर्ता आबंटियों से लाइसेंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।
- वर्ष 2010-11 हेतु 97 लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप राजकीय राजकोष को ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।
- विभाग ने, रिटेल शराब आऊटलेट्स के 10 चूककर्ता लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस वसूल करने हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ की लाइसेंस फीस तथा ब्याज की कम वसूली हुई।
- विभाग द्वारा दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।
- आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लॉटों के बिक्री विलेखों पर ₹ 2.22 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।
- वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 हेतु ₹ 33.51 लाख का बोली धन न तो नियमित रूप से जमा करवाया गया था और न ही 20 परिवहन सहकारी समितियों के मालिकों से पांच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया था।
- विभाग, ठेकेदारों से शेष बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 80.10 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.84 करोड़ के बोली धन की कम वसूली हुई।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2011-12 के दौरान हरियाणा सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 2010-11 के दौरान ₹ 25,563.68 करोड़ के विरुद्ध ₹ 30,557.59 करोड़ थी। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इसके अपने स्रोतों से उगाहा गया राजस्व गत वर्ष 2010-11 के दौरान क्रमशः ₹ 16,790.37 करोड़ तथा ₹ 3,420.94 करोड़ के विरुद्ध कर राजस्व से ₹ 20,399.46 करोड़ तथा कर-भिन्न राजस्व से ₹ 4,721.65 करोड़ से समायुक्त ₹ 25,121.11 करोड़ था।

₹ 13,383.69 करोड़ की बिक्री कर प्राप्तियां तथा ₹ 852.96 करोड़ की सड़क परिवहन प्राप्तियां, कर तथा कर-भिन्न राजस्व की क्रमशः 66 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

₹ 1,023.95 करोड़ के धन मूल्य वाली 4,507 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन (दिसम्बर 2011 तक जारी किए गए) विभागों से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा में जून 2012 के अन्त तक बकाया थे।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

सरकार/विभागों ने 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों हेतु भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व सेक्टर) में सम्मिलित ₹ 1,284.73 करोड़ में से ₹ 753.85 करोड़ की राशि की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से स्वीकृत धन मूल्य के ₹ 325.31 करोड़ (43 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2012 तक वसूल की गई थी।

लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री कर/वैट, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहनों पर करों तथा विभागीय कार्यालयों के 280 यूनितों के अभिलेखों की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 9,130 प्रकरणों में ₹ 2,866.67 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि प्रकट की।

प्रणाली मूल्यांकन/निष्पादन लेखापरीक्षाएं

निर्माण संविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण

- उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने तथा अंतर्विभागीय डाटाबेस के विनिमय की प्रणाली आरंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से ₹ 283.88 करोड़ के राजस्व की अवसूली तथा ठेकादाताओं द्वारा ₹ 88.26 करोड़ के डब्ल्यू.सी.टी. की कम कटौती हुई।
- घोषणा फार्मों के दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.00 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
- कर निर्धारण प्राधिकारियों (ए.ए.ज.) द्वारा विभाग के मार्गनिर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1,303.16 करोड़ के कर तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।
- सकल आवर्त से अस्वीकार्य कटौतियों की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 9.17 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।
- बिक्री के संपादनों का निर्माण ठेके के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 22.47 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।
- रिटर्नज को न भरने के लिए शास्ति के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

यात्रियों तथा माल कर से प्राप्तियां

- यद्यपि आटो रिक्शा के मामले में यात्री कर के संग्रहण का दायित्व संबंधित जिले के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) को सौंपा गया था, नमूना-जांच किए गए 10 उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालयों में से आठ द्वारा उनसे संबंधित ब्यौरे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को हस्तांतरित नहीं किए गए।
- छः सीटों वाली मैक्सी/टैक्सी पर प्रभारित किए जाने वाले कर की राशि डी.ई.टी.सीज अधिकारियों को अवगत नहीं थी क्योंकि पी.पी.जी.टी. अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम इसे निर्धारित नहीं करते हैं।
- आर.टी.एज तथा डी.ई.टी.सीज अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप 368 मैक्सी कैब/टैक्सी के मामले में ₹ 91.93 लाख के यात्री कर का अपवंचन हुआ।
- आर.टी.एज तथा डी.ई.टी.सीज कार्यालयों के बीच असमन्वय के परिणामस्वरूप 2006-11 के दौरान नौ जिलों के आर.टी.एज द्वारा पंजीकृत 2,453 स्कूल बसों में से 1,305 स्कूल बसों के मालिकों द्वारा यात्री कर का अपवंचन हुआ।
- मैक्सी कैब/टैक्सियों के 309 मामलों में ₹ 49.88 लाख की राशि के यात्री कर, ₹ 20.07 लाख के ब्याज तथा शास्ति की वसूली नहीं की गई।
- विभाग ने चार जिलों में सहकारी समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त बसों के मामले में ₹ 17.08 लाख की राशि के यात्री कर तथा ₹ 2.71 लाख के ब्याज की वसूली नहीं की।
- 2,630 मामलों में 10 डी.ई.टी.सीज कार्यालयों में ₹ 3.15 करोड़ की राशि के माल कर तथा ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की गई।
- विभाग ने 560 कर निर्धारित मामलों में से 81 मामलों में ₹ 13.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.28 लाख का यात्री कर वसूल नहीं किया।

अनुच्छेदों के रूप में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

कर प्राप्तियां

बिक्री कर/वैट (आबकारी एवं कराधान विभाग)

कर निर्धारित करने से पूर्व, हरियाणा के भीतर विभागीय प्राधिकारियों से बिक्रियों एवं क्रयों के सम्पादनों की क्रॉस जांच करने में कर-निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 1.26 करोड़ (₹ 94.53 लाख के जुर्माने सहित) की राशि के वैट का अपवंचन हुआ।

स्टाम्प शुल्क (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.92 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (आबकारी एवं कराधान विभाग)

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 हेतु ₹ 33.51 लाख का बोली धन न तो नियमित रूप से जमा करवाया गया था और न ही 20 परिवहन सहकारी समितियों के मालिकों से पांच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया था।

2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों का सामान्य विहंगावलोकन तथा:

- (i) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
- (ii) हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

पर निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर एक अनुच्छेद सहित दो विषयक अनुच्छेद तथा 12 अनुच्छेद भी सम्मिलित हैं।

1. विशिष्टताएं

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। ये लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष भी हैं। साविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। 31 मार्च 2012 को हरियाणा राज्य में 22 कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (20 कम्पनियां तथा दो साविधिक निगम) तथा सात गैर-कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे। राज्य कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यूज), जिनमें 0.36 लाख कर्मचारी नियुक्त थे, ने अपने अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार 2011-12 हेतु ₹ 21,465.56 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। यह आवर्त, अर्थव्यवस्था में पी.एस.यूज द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.99 प्रतिशत के बराबर था। तथापि, कार्यचालन पी.एस.यूज ने 2011-12 हेतु ₹ 2,541.24 करोड़ की हानि उठाई जबकि सभी पी.एस.यूज ने ₹ 8,622.09 करोड़ की समग्र हानियां संचित की।

पी.एस.यूज में निवेश

31 मार्च 2012 को 29 पी.एस.यूज में निवेश (पूँजीगत तथा दीर्घवधि ऋण) ₹ 30,881.66 करोड़ था। यह 2006-07 में ₹ 12,311.41 करोड़ से 150.84 प्रतिशत तक बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र ने 2011-12 में कुल निवेश का लगभग 94 प्रतिशत परिगणित किया। सरकार ने 2011-12 के दौरान साम्या, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों की ओर ₹ 8,047.35 करोड़ का अंशदान दिया।

पी.एस.यूज का निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान 22 कार्यचालन पी.एस.यूज में से 17 पी.एस.यूज ने ₹ 298.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पांच पी.एस.यूज ने ₹ 2,840.04 करोड़ की हानि उठाई। लाभ के प्रमुख अंशदाता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 140.07 करोड़) तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 69.95 करोड़) थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,011.24 करोड़) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 794.22 करोड़) द्वारा भारी हानियां उठाई गई थी।

हानियां मुख्यतः पी.एस.यूज के क्रियाकलाप में विभिन्न त्रुटियों को आरोप्य हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अन्ततम तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य पी.एस.यूज की

₹ 3,261.79 करोड़ की हानियां तथा ₹ 247.16 करोड़ के निष्फल निवेश, कुशल प्रबंध से नियन्त्रणीय थे। इस प्रकार, क्रियाकलाप में सुधार करने तथा हानियों को न्यूनतम/विलुप्त करने के लिए व्यापक क्षेत्र है। पी.एस.यू.ज प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्म-निर्भर हों। पी.एस.यू.ज के क्रियाकलाप में व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पी.एस.यू.ज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान अन्तिमकृत 22 लेखाओं ने अर्हता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए।

इन लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालना के 29 उदाहरण थे। कम्पनियों के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों ने कई कमजोर क्षेत्रों को इंगित किया।

लेखाओं में बकाया तथा परिसमापन

सितम्बर 2012 को 17 कार्यचालन पी.एस.यू.ज के 29 लेखे बकाया थे। पी.एस.यू.ज हेतु लक्ष्य निर्धारित करके तथा लेखाओं को तैयार करने से संबंधित कार्य को बाहरी स्रोत से करवाकर बकायों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। सात गैर-कार्यचालन कम्पनियां थी। चूंकि इन पी.एस.यू.ज की विद्यमानता से कोई प्रयोजन हल नहीं होता अतः इन्हें तुरंत बन्द किए जाने की आवश्यकता है।

(अध्याय 1)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षाएं

‘हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड’ तथा ‘हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड’ से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाएं की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों का कार्यकारी सार नीचे दिया गया है:

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

हरियाणा में बिजली का संचारण और ग्रिड प्रचालन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है जो एक दक्ष, पर्याप्त और सही ढंग से समन्वित ग्रिड प्रबंधन और बिजली के संचारण के लिए अधिदेशाधीन है। कंपनी के क्रिया-कलापों में अतिरिक्त उच्च दाब (ई.एच.टी.), संचारण नेटवर्क अर्थात् 400 के.वी. से 66 के.वी. स्तर सब-स्टेशन (एस.एस.ज) और लाईन का निर्माण शामिल है। 31 मार्च 2012 को कंपनी के पास 27062 मेगावोल्ट एम्पीयर (एम.वी.ए.) की प्रस्थापित क्षमता के साथ 337 एस.एस.ज तथा 11213.65 सर्कट किलोमीटर (सी.के.एम.) की संचारण लाईनें थी। 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए कंपनी की निष्पादन लेखापरीक्षा इसके परिचालन की मितव्ययता, दक्षता तथा कारगरता एवं इसकी स्थापना

के उद्देश्यों को पूरा करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए की गई।

प्लानिंग तथा विकास

कंपनी ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 146 एस.एस.ज के लक्ष्य के विरुद्ध 92 ई.एच.टी.एस.एस.ज (63 प्रतिशत) का निर्माण किया। कमी, उचित बर्हिगमन सर्वेक्षण न करने, राइट आफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) समस्याओं, वन विभाग, रेलवे विभाग से क्लेरेंस प्राप्त करने में विलंब और कार्यों के निष्पादन में ठेकेदारों द्वारा विलंबों को आरोप्य थी। कंपनी शैड्यूल के अनुसार अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकी। अधिक लिया गया समय 3 से 41 माह के बीच श्रृंखलित था। विलंब के कारण अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 36.21 करोड़ के विचारित लाभों की हानि हुई तथा ₹ 0.36 करोड़ की कड़ी हानियां उठाई क्योंकि एस.एस.ज

निष्क्रिय रहे। दो मामलों में उत्पादन क्षमता और शून्यकरण प्रणाली की पूर्णता के मध्य बेमेल के परिणामस्वरूप विकल्पी प्रणाली के माध्यम से विद्युत निष्क्रमण तथा उपभोक्ताओं को समय पर क्वालिटी पावर प्रदान करने में विफलता के अतिरिक्त ₹ 39 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। लोड आवश्यकता के बिना बान्ता पर एस.एस. के निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 26.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

कंपनी संचारण हानियों को नियंत्रित नहीं कर सकी क्योंकि एच.ई.आर.सी. के 2.1 प्रतिशत के मानकों के विरुद्ध यह 2008-09 में ₹ 225.85 करोड़ के मूल्य की 2.5 प्रतिशत से 2011-12 में 2.76 प्रतिशत तक बढ़ गई।

ग्रिड प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन

कंपनी के पास 219 एस.एसज थे, जिनमें से, दक्ष विद्युत प्रबंधन प्रणाली के लिए वास्तविक समय डाटा रिकार्ड करने के लिए रिमोट टर्मिनल यूनिट्स के साथ केवल 43 एस.एसज प्रदान किए गए थे। सी.ई.आर.सी. ने, अप्रैल 2010 के दौरान ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन पर ₹ 8 लाख की शास्ति लगाई। कंपनी बैंकिंग डाउन निर्देशों के सही अभिलेख अनुरक्षित नहीं कर रही थी और जारी किए गए बैंकिंग डाउन संदेशों के अनुपालन पर निगरानी हेतु कोई यंत्रावली विकसित नहीं की थी। बैंकिंग डाउन संदेशों के अकार्यान्वयन के कारण डिस्कोमज को ₹ 4.84 करोड़ की हानि उठानी पड़ी थी। संचारण सर्कल (टी.सी.), रोहतक में आपदा प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि इसने 2007-12 के दौरान कोई मॉक ड्रिल नहीं की थी। तथापि, टी.सी. करनाल ने मार्च 2012 को समाप्त पिछले दो वर्षों के दौरान अभ्यास किया था।

वित्तीय प्रबंधन

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी लाभ में थी और इसने 2011-12 में ₹ 140.07 करोड़ का लाभ अर्जित किया। ब्याज की उच्चतर दर पर ऋण के आहरण के कारण कंपनी को ₹ 0.94 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा था। हुडा के पास दावा प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 223.88 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 20.28 करोड़ का वार्षिक ब्याज भार हुआ।

शुल्क दर निर्धारण

अननुमोदित पूंजीगत कार्य, जो एच.ई.आर.सी. द्वारा अननुमत था, के लिए आहरित ऋण पर कंपनी को ₹ 218.81 करोड़ का ब्याज भार वहन करना पड़ा था।

मानिटरिंग एवं नियंत्रण

एस.एसज तथा लार्डनों की निष्पादन रिपोर्ट बी.ओ.डी. को प्रस्तुत नहीं की जाती। 2009-10 से कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा बकाया है। यद्यपि कंपनी ने एक लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, परन्तु उनकी बैठकों की आवधिकता कंपनी के व्यापार नियमों (लेखापरीक्षा समिति) 2009 के निबंधनों के अनुरूप नहीं थी।

निष्कर्ष और सिफारिशें

संचारण परियोजनाओं की पूर्ति में विलंब था। संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थी। हुडा से वसूली, कारगरता से अनुसरित नहीं की गई। एच.ई.आर.सी. ने अननुमोदित कार्यों के लिए ऋणों पर ब्याज की अनुमति नहीं दी। कंपनी का निष्पादन सुधारने के लिए निष्पादन मूल्यांकन में चार सिफारिशें सम्मिलित हैं।

(अध्याय 2.1)

हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) मध्यम/दीर्घ स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और राज्य में औद्योगिक संपदाओं का विकास करने के लिए 1967 में संस्थापित की गई थी। कंपनी के पास, इसकी गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य में फैले हुए 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे। 31 मार्च 2012 तक कंपनी ने राज्य में 25,725 एकड़ क्षेत्र विकसित किया है। निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत्त सभी वर्षों के दौरान कंपनी ने अपनी गतिविधियों से लाभ अर्जित किया है।

वित्त पोषण गतिविधि

2006-11 के दौरान कंपनी ने 48.70 प्रतिशत की कमी निरूपित करते हुए ₹ 467.28 करोड़ की संस्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 239.73 करोड़ ऋण वितरित किए। 2006-11 के दौरान निवल वसूलनीय राशि के विरुद्ध वसूली की प्रतिशतता 47.58 तथा 62.60 के बीच श्रृंखलित थी। पुराने देयों की वसूली के लिए कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। ₹ 181.20 करोड़ छोड़ते हुए कंपनी ने ओ.टी.एस. के अंतर्गत 34 मामले समायोजित किए।

भूमि अधिग्रहण

राज्य में औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए, 2006-11 के दौरान ₹ 4,542.27 करोड़ की लागत पर 10,279 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों की अननुपालना के कारण कंपनी को भूमि अधिग्रहण पर ₹ 1.58 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था। कंपनी ने ₹ 8.98 करोड़ की हानि उठाई क्योंकि

अधिग्रहण के लिए भूमि बाधाओं से मुक्त नहीं थी। भूमि का आधिपत्य लेने में विलंब के कारण कंपनी ने ₹ 1.71 करोड़ की भी हानि उठाई।

भूमि का विकास

2006-11 के दौरान भूमि के विकास के लिए कंपनी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। कंपनी ने 25,725 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जिसमें से 87.37 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ गया जिसने राज्य में संतुलित औद्योगिक वृद्धि को बाधित कर दिया। डी.आई. पार्सों पर उत्पाद शुल्क की छूट की अप्राप्ति के कारण कंपनी ने ₹ 2.19 करोड़ की हानि उठाई।

मूल्य का निर्धारण

2007-12 के दौरान कंपनी ने प्लाटों के आबंटन के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। मार्च 2012 तक बनाए गए 14,297 प्लाटों/शेडों में से 2,390 प्लाट/शेड खाली पड़े थे। पुरानी दर पर अतिरिक्त भूमि के आबंटन के कारण कंपनी ने ₹ 6.84 करोड़ की हानि उठाई तथा प्लाटों का पुनर्ग्रहण न करने के कारण इसने ₹ 2.33 करोड़ की हानि उठाई।

बृहद् परियोजनाएं

कंपनी राज्य में अनेक बृहद् मूलभूत संरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे की 29 जुलाई 2009 तक पूर्णता के विरुद्ध, ग्राही 31 मार्च 2012 तक 66.86 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 77 प्रतिशत आर्थिक प्रगति प्राप्त कर सका। कंपनी ने फर्म पर ₹ 17.88 करोड़ की शास्ति लगाई परन्तु अक्टूबर 2012 तक किसी राशि की वसूली नहीं की गई थी। रिलायंस हरियाणा एस.ई.जेड लिमिटेड, गुड़गांव में विनिर्दिष्ट अवधि में एस.ई.जेड प्रस्थापित करने में विफल रही और 1,383.68 एकड़ भूमि, जो कंपनी से ₹ 399.85 करोड़ की लागत पर ली गई थी, ₹ 1,172 करोड़ पर लौटाने का प्रस्ताव किया था। परामर्शदाता द्वारा भूमि के गलत मूल्यांकन तथा मैसर्ज डी.एल.एफ. लिमिटेड को बेचने से पहले कंपनी द्वारा

उसका विश्लेषण न करने के कारण कंपनी ने ₹ 438.91 करोड़ की हानि उठाई।

निष्कर्ष और सिफारिशें

कंपनी ने ऋणों की संस्वीकृति तथा वितरण में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। वसूलनीय निवल राशि के विरुद्ध वसूली की प्रतिशतता 47.58 तथा 62.60 के बीच श्रृंखलित थी। ओ.टी.एस. के अंतर्गत समायोजित 34 मामलों में से 17 मामले, ₹ 127.48 करोड़ के

बकाया देयों के विरुद्ध केवल ₹ 23.03 करोड़ के लिए समायोजित किए गए थे, जबकि इन इकाईयों की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 56.91 करोड़ था। कंपनी ने औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे और भूमि के अधिग्रहण चिन्हीकरण के लिए प्रणाली दोषपूर्ण थी जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। निष्पादन लेखापरीक्षा में कंपनी के निष्पादन में सुधार के लिए पांच सिफारिशें सम्मिलित हैं।

(अध्याय 2.2)

3. विषयक लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित विषयक लेखापरीक्षा पी.एस.यूज के प्रबन्धन में त्रुटियों पर प्रकाश डालती हैं जिसके परिणामस्वरूप संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं हुई।

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा न करने के कारण पांच प्रकरणों में ₹ 24.99 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.1.4, 3.1.6, 3.2.8, 3.2.9 तथा 3.2.10)

4. संपादनों की लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सम्पादन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पी.एस.यूज के प्रबन्धन में त्रुटियों पर प्रकाश डालती हैं जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय उलझनें हुईं। इंगित की गई अनियमितताएं मौटे तौर पर निम्न प्रकृति की हैं:

नियमों, निदेशों, प्रक्रियाओं, अनुबंधों की शर्तों एवं निबंधनों की अननुपालना के कारण चार प्रकरणों में ₹ 29.97 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.4, 4.5, 4.6 तथा 4.10)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा न करने के कारण सात प्रकरणों में ₹ 8.39 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9 तथा 4.11)

2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (नॉन-पी.एस.यू.ज)

इस प्रतिवेदन में, कुछ चयनित कार्यक्रमों, सरकारी विभागों के कार्यचालन की सम्पादन लेखापरीक्षा तथा सरकार के वित्तीय संपादनों की लेखापरीक्षा के आधार पर तैयार की गई चार निष्पादन लेखापरीक्षा, चार विषयक लेखापरीक्षा, 21 अनुच्छेदों तथा एक सरकारी विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा से समायुक्त पांच अध्याय सम्मिलित हैं।

विशिष्टताएं

- हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 की अधिसूचना और कर्मी कल्याण बोर्ड और परामर्शदात्री समिति के गठन में असाधारण विलंब था। ₹ 634.71 करोड़ की उपलब्धता के विरुद्ध 2007-12 के दौरान केवल ₹ 15.11 करोड़ व्यय किए गए। ठेकेदार, जिन्होंने निर्माण कर्मी नियोजित किए थे, पंजीकृत नहीं थे एवं कर्मियों को अपने पंजीकरणों का नवीकरण करवाने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया गया। पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अयोग्यता पेंशन इत्यादि सांविधिक स्कीमों तथा कुछ अन्य स्कीमों जैसे निर्माण कर्मियों और छात्रों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा, चिरकालिक रोगों का आवरण जो कि बोर्ड द्वारा प्रतिपादित थी, को कार्यान्वित नहीं किया गया। बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी थी जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड स्तर पर अपर्याप्त मानीटरिंग थी। बोर्ड में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।
- सिंचाई विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा ने आयोजना की कमी, ₹ 7,731.73 करोड़ खर्च करने के बावजूद सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र की आवृत्ति के लक्ष्यों की अप्राप्ति, व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण, स्कीमों का धीमा एवं मंद कार्यान्वयन इत्यादि प्रकट की। इसके अतिरिक्त लाइन विभागों के साथ समन्वय की कमी, कार्यों का विभाजन, मलजल के निपटान पर अपर्याप्त नियंत्रण, नहरों में निस्सरण छोड़ना, अवमानक कार्यों के निष्पादन से संबंधी उदाहरण प्रकट किए।
- सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत निजी भू-स्वामियों से भूमि अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों को सुलझाने हेतु न्यायिक हस्तक्षेप किए गए, सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया से अधिसूचित भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन में रिलीज कर दिया, जिससे हुडा की विकास योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं। आगे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण संबंधित विभागों को ब्याज का अधिक भुगतान करना पड़ा, सरकारी खातों से निधियां बाहर रखने के कारण ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी, इत्यादि। इसके अतिरिक्त, नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में औद्योगिक प्लॉट की बिक्री की अनुमति प्रदान करने के प्रकरण थे। बाह्य विकास प्रभारों की वसूली की निगरानी हेतु उचित यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा ने कुछ सीमा तक स्थिरता एवं सुनिश्चित आय के साथ कर्मियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार प्रकट किया। तथापि, वेतन के विलंबित भुगतान, जाली मस्टर रोल तैयार करने, वेतन के दोहरे भुगतान इत्यादि जैसी कमियां थी।
- मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्य संसदीय सचिवों तथा संसदीय सचिवों द्वारा संस्वीकृत ₹ 12.97 करोड़ की राशि के ऐच्छिक अनुदान उन्हीं संस्थाओं को अनियमित रूप से बार-बार निर्मुक्त किए गए थे। ₹ 1.93 करोड़ के बाईस अनुदान, नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों हेतु निर्मुक्त किए गए थे।

- नगरों/शहरों के इर्द-गिर्द अनधिकृत कालोनियों का अव्यवस्थित विकास था क्योंकि अनधिकृत कालोनियों को नियंत्रित करने हेतु अधिनियमों एवं नियमों में वर्तमान प्रावधान, विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा लागू नहीं किए जा रहे थे।
- लाभग्राहियों के दोषपूर्ण चिन्हीकरण के परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्तियों को ₹ 16.73 करोड़ की राशि के बुढ़ापा सम्मान भत्ते का भुगतान हुआ।
- जेल तथा पुलिस विभाग के मध्य समन्वय की कमी के कारण पैरोल/फरलो पर निर्मुक्त बड़ी संख्या में कैदी मुक्त रहे जो घिनौने अपराधों में सलिप्त थे।
- आन्तरिक नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण जिला रैड क्रॉस सोसाइटी, मेवात, नूंह में ₹ 18.46 लाख का गबन हुआ।
- जांच करने में विफलता के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, पानीपत तथा मोहिन्दरगढ़ में ₹ 10.30 लाख का गबन हुआ।
- घग्गर जल सेवाएं मंडल, पंचकूला में नींव से खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग कौशल्या डैम के तटबंधों में न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- वर्कलोड का निर्धारण किए बिना नियुक्त विधि अधिकारियों को ₹ 2.22 करोड़ की राशि का बेकार वेतन भुगतान किया गया।
- आपसी सहमति से निर्धारित कीमतों पर विचार न करने के कारण टाटा कंपनी की 337 बसों की खरीद पर परिवहन विभाग द्वारा ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।
- उत्कर्ष सोसायटी द्वारा मानीटरिंग की कमी के कारण एजुसैट कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 90.59 करोड़ व्यय करके प्रतिष्ठापित 56 प्रतिशत टर्मिनल निष्क्रिय रहे।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सरकारी खाते में निधियों को जमा न करवाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ के ब्याज की हानि के अतिरिक्त बैंक में ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में निधियां रखने से ₹ 1.15 करोड़ की अतिरिक्त हानि हुई।
- तकनीकी शिक्षा विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा ने प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध, स्कीमों के कार्यान्वयन में त्रुटियां, ₹ 14.53 करोड़ की निधियां सरकारी खाते से बाहर रखने तथा कक्षाओं, छात्रावासों, डिस्पेन्सरियों आदि हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचना प्रकट की। नई बहुतकनीकियों के संस्थापन तथा एस.सी. छात्रावासों के निर्माण में विलंब, बुक बैंक सुविधा की अप्रदानगी, एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की अनापूर्ति ने स्कीमों की उपलब्धि की प्रक्रिया रोक दी। कोचिंग संस्थान के गलत चयन के परिणामस्वरूप कार्यक्रम बीच में समाप्त हो गया। सही प्रक्रिया अनुसरित किए बिना संस्थान को ₹ 15.88 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की, जिससे सर्विस प्रोवाइडर को लाभ हुआ।

I कार्यक्रमों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

1. हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड

भवन तथा अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 भारत सरकार द्वारा, रोजगार और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों की सेवा की शर्तों के नियमन के विचार से बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत कर्मियों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमें कार्यान्वित करना अपेक्षित था। हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड का कार्यचालन और अधिनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार और सेवा की शर्तों का नियमन) नियम, 2005 के बारे अधिसूचना जारी करने, हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड और राज्य सलाहकार समिति के गठन में नौ वर्ष का विलंब था।
बोर्ड की आय तथा व्यय	2007-12 के दौरान ₹ 634.71 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध, केवल ₹ 15.11 करोड़ का व्यय किया गया।
उपकर को देरी से जमा करवाना/जमा न करवाना	छ: जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंडलों द्वारा एकत्रित ₹ 1.50 करोड़ की राशि का उपकर बोर्ड के पास जमा नहीं करवाया गया। इसमें से राज्य प्राप्त शीर्ष में ₹ 70.05 लाख जमा करवाए गए थे।
स्थापनाओं तथा भवन कर्मियों का पंजीकरण	निर्माण कर्मियों के नियोक्ताओं के रूप में ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए पहल एवं पंजीकृत कर्मियों की सदस्यता के नवीकरण के लिए अभिप्रेरण का अभाव था।
स्कीमों का कार्यान्वयन	बोर्ड द्वारा प्रतिपादित सांविधिक स्कीमों जैसे पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अयोग्यता पेंशन इत्यादि तथा कुछ विशिष्ट स्कीमों जैसे निर्माण कर्मियों और छात्रों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा, चिरकालिक रोगों की आवृत्ति का कार्यान्वयन नहीं किया गया।
स्टाफ की कमी	बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी थी जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अपर्याप्त थी।
अपर्याप्त मानीटरिंग तथा मूल्यांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	राज्य स्तर पर मानीटरिंग पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वार्षिक बजट तथा विवरणियां बोर्ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं की गईं। बोर्ड में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।

2. सिंचाई विभाग का कार्यचालन

हरियाणा मुख्यतः एक कृषि व्यवस्था संबंधी राज्य है। राज्य में कुल कृषीय क्षेत्र 38.09 लाख हैक्टेयर है। राज्य में कुल 29.78 लाख हैक्टेयर के कुल संभावित सिंचाई क्षेत्र के विरुद्ध 21.13 लाख हैक्टेयर को नहरी सिंचाई प्रदान की जाती है। सिंचाई विभाग की निष्पादन लेखा परीक्षा ने आयोजना की कमी, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र की आवृत्ति के लक्ष्यों की अप्राप्ति, खर्च पर अपर्याप्त नियंत्रण, स्कीमों के मंद एवं धीमे कार्यान्वयन आदि प्रकट किए। इसके अतिरिक्त, लाईन विभागों के साथ समन्वय की कमी, कार्यों का विभाजन, मलजल के निपटान पर अपर्याप्त नियंत्रण, नहरों में निस्सरण छोड़ना, अवमानक कार्यों के निष्पादन के उदाहरण थे।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

लक्ष्य एवं उपलब्धियां	वर्ष 2007-12 के दौरान सिंचाई के अंतर्गत 1,140.38 हजार हैक्टेयर क्षेत्र आवृत करने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 104.18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आवृत किया गया।
बाढ़ हेतु केंद्रीय सहायता	यमुना नदी के साथ बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना संसोधित करने में देरी के कारण राज्य सरकार ने ₹ 83.40 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं की।
अन्य राज्यों से हिस्से की अप्राप्ति	हथनीकुंड बांध की लागत के अन्तिमकरण हेतु केन्द्रीय जल आयोग को मामला प्रस्तुतिकरण में देरी के परिणामस्वरूप सदस्य राज्यों से ₹ 122.52 करोड़ के हिस्से की प्राप्ति नहीं हुई।
दादुपुर-नलवी सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय	दादुपुर-नलवी सिंचाई परियोजना, जिस पर ₹ 126.11 करोड़ का व्यय किया गया, निष्क्रिय रही क्योंकि किसानों को पानी केवल वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध होगा जब उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती।
निष्फल व्यय	नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया ₹ 13.11 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि सिंचित योग्य क्षेत्र नहीं बढ़ा।
एल.ए.ओज से अव्ययित राशि की अवसूली	विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के पास पड़े अव्ययित शेष सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.92 करोड़ की राशि उनके पास अवरूद्ध रही।

3 भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन

सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत निजी भू-स्वामियों से भूमि अधिग्रहण करती है। सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया से अधिसूचित भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन में रिलीज कर दिया, जिसने हुडा की विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित की। आगे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण संबंधित विभागों को ब्याज के कारण अधिक भुगतान करना पड़ा, सरकारी खाते से निधियां बाहर रखने के कारण ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी, इत्यादि। इसके अतिरिक्त, नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में औद्योगिक प्लॉट की बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के प्रकरण थे।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी	वर्धित भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।
अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में भूमि की निर्मुक्ति	अधिग्रहण की प्रक्रिया से व्यक्तियों, भवन निर्माताओं, ट्रस्टों, इत्यादि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन में, भूमि की निर्मुक्ति अवलोकित की गई।
प्लॉट का अवैध हस्तांतरण	हुडा द्वारा सरकारी नीति के उल्लंघन में एक औद्योगिक भू-खंड का हस्तांतरण अनुमत किया गया।
बाह्य विकास प्रभारों की वसूली	भूमि की निर्मुक्ति के मामलों में बाह्य विकास प्रभारों की वसूली की निगरानी हेतु हुडा के सम्पदा कार्यालयों में यंत्रावली की अनुपस्थिति थी।

राजस्व अभिलेख अद्यतित किए बिना किए गए भुगतान	₹ 6.49 करोड़ की भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान 12 व्यक्तियों, जो भू-स्वामी नहीं थे, को किया गया जबकि 15 व्यक्तियों को उनकी हकदारियों से अधिक ₹ 1.55 करोड़ भुगतान किए गए।
निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखना	निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

स्थाई सामुदायिक परिसंपत्ति सृजित करने के अतिरिक्त 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) सितंबर 2005 में अधिसूचित किया गया था। स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा ने कुछ सीमा तक स्थिरता एवं आश्वस्त आय के साथ कर्मियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार प्रकट किया। तथापि, वहां कमियां थीं जैसे मजदूरियों के विलंबित भुगतान, जाली मस्टर रोल तैयार करने, वेतन के दोहरे भुगतान इत्यादि।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

राज्य हिस्से की कम निर्मुक्ति	जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम की मजदूरियों में ₹ 10.06 करोड़ की राशि के अन्तर राज्य सरकार द्वारा अंशदत्त नहीं किए गए जिसके कारण भारी संख्या में लाभग्राही स्कीम के लाभों से वंचित थे।
भौतिक निष्पादन पर्याप्त नहीं था	केवल 23 से 42 प्रतिशत जॉब कार्डधारकों को रोजगार प्रदान किए गए थे जिसमें से केवल एक से पांच प्रतिशत को 100 दिनों के लिए गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया गया।
कार्मिकों की काल्पनिक नियुक्ति	दो गांवों में ₹ 2.60 लाख की राशि की मजदूरियों के भुगतान से आवेष्टित कार्मिकों की काल्पनिक नियुक्ति देखी गई।
मस्टररोलों का त्रुटिपूर्ण रख-रखाव	25 मामलों में काटने, ओवर राइटिंग, मिटाने इत्यादि के माध्यम से मस्टररोलज के फेरबदल और 11 मामलों में मस्टररोलज में बैंक खाता संख्या दर्ज न करने, मस्टररोल और एम.आई.एस. रिपोर्टों में लाभग्राहियों के नामों के बेमेल, एम.आई.एस. में मस्टररोल संख्या दर्ज न करने इत्यादि जैसी त्रुटियां लेखापरीक्षा में देखी गई।
स्थायी परिसंपत्तियों का असृजन	₹ 138.92 लाख की राशि मिट्टी की सड़कों पर खर्च की गई जो न तो स्थायी थी न ही सभी मौसमों में अभिगम्य थी। ₹ 81.45 लाख का व्यय 19 तालाबों की खुदाई और गहरा करने पर किया गया जो बिना पानी के थे। 16 जी.पी.ज द्वारा पेवर ब्लॉक गलियों की सीमेंट कंकरीट/अन्तःपाश पर ₹ 80.15 लाख व्यय किए गए जो अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं थे।
पौधारोपण नहीं किया गया तथा अधिक व्यय	वन विभाग ने वन्यकरण पर ₹ 23.82 लाख की राशि व्यय की गई दर्शाई थी परंतु कोई पौधारोपण नहीं किया गया। हर्बल पार्को के विकास पर ₹ 62.05 लाख का अधिक व्यय किया गया।

II विषयक लेखापरीक्षा

विकास और पंचायत विभाग

ऐच्छिक अनुदानों के संवितरण तथा उपयोगिता में अनियमितताएं

मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्य संसदीय सचिवों तथा संसदीय सचिवों द्वारा संस्वीकृत ₹ 12.97 करोड़ की राशि के ऐच्छिक अनुदान उन्हीं संस्थाओं को बार-बार निर्मुक्त किए गए थे। ₹ 1.93 करोड़ के बाईस अनुदान, नीति मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत न आने वाले प्रयोजनों हेतु निर्मुक्त किए गए थे। 23 मामलों में, ₹ 1.62 करोड़ के अनुदान, कार्यों जिनके लिए ये संस्वीकृत किए गए थे, से अन्य के लिए प्रयुक्त किए गए थे। ₹ 1.60 करोड़ के सोलह अनुदान पूर्णतः प्रयुक्त नहीं किए गए थे। 89 प्रतिशत मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

नगर एवं ग्राम आयोजना, पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पंचायत तथा विकास एवं विद्युत विभाग

अनधिकृत कालोनियों की वृद्धि

नगरों/शहरों के इर्द-गिर्द अनधिकृत कालोनियों का अव्यवस्थित विकास था। अनधिकृत कालोनियों को नियंत्रित करने हेतु अधिनियमों एवं नियमों में वर्तमान प्रावधान, विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा लागू नहीं किए जा रहे थे क्योंकि भूमि के बिक्री विलेख पंजीकृत किए जा रहे थे। जल आपूर्ति एवं विद्युत कनेक्शन, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग/नगर पालिका/निगमों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निर्मुक्त किए गए थे। पुलिस विभाग ने भी, अनधिकृत कालोनियों का अव्यवस्थित विकास रोकने हेतु नियमों में यथा प्रावधानित कार्यवाही नहीं की थी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम

लाभग्राहियों के दोषपूर्ण चिन्हीकरण के परिणामस्वरूप अपात्र व्यक्तियों को ₹ 16.73 करोड़ की राशि के बुढ़ापा सम्मान भत्ते का भुगतान हुआ।

गृह विभाग

पैरोल/फरलो पर रिहा कैदी

जेल तथा पुलिस विभागों के मध्य समन्वय की कमी के कारण 2007-11 के दौरान पैरोल/फरलो पर निर्मुक्त 68 कैदी मुक्त रहे, जिनमें से 49 घिनौने अपराधों में सलिप्त थे। 28 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 से 224 दिनों के विलंब के बाद दर्ज की गई थी तथा 31 मामलों में ₹ 85.50 लाख के स्योरिटी बॉन्ड्स जब्त नहीं किए गए थे।

III संपादनों की लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिला रैड क्रॉस सोसाइटी)

अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के कारण गबन वाहनों तथा ड्राइविंग लाइसेंसों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के जारी करने पर उद्गृहीत सेवा प्रभागों की प्राप्ति एवं जमा में वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अननुपालना के कारण जिला रैड क्रॉस सोसाइटी, नूंह स्थित मेवात में ₹ 18.46 लाख का गबन हुआ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अपर्याप्त मानीटरिंग तथा वित्तीय नियंत्रण के कारण गबन वित्तीय नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों, पानीपत तथा मोहिन्द्रगढ़ के कार्यकारी अभियंता/उप-मंडल अभियंता, की विफलता ने जल एवं सीवरेज प्रभागों के संग्रहण एवं जमा में ₹ 10.30 लाख का गबन सुसाधित किया।

सिंचाई विभाग

डैम तटबंधों में खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय कौशल्या डैम के तटबंधों में नींव से खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभाग

निधियों का अनियमित आहरण शिक्षा, श्रम, बागवानी, नवीकरण ऊर्जा तथा परिवहन विभागों ने बजटीय आबंटनों के रूप में ₹ 228.38 करोड़ की निधियां आहरित की तथा उन्हें समितियों को हस्तांतरित कर दिया जिन्होंने निधियों को सरकारी खातों से बाहर रखा परिणामतः वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ।

विधायी विभाग (हरियाणा विधान सभा)

मुफ्त यात्रा सुविधा के भुगतान में अनियमितताएं हरियाणा विधान सभा के पन्द्रह सदस्यों ने उसी अवधि, जिसके दौरान उन्होंने मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए ₹ 23.20 लाख का दावा किया था, के लिए यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किए। छब्बीस सदस्यों को एक ही वित्तीय वर्ष में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ दो बार दिया गया परिणामस्वरूप ₹ 50.73 लाख का अधिक भुगतान हुआ। चौबीस विधान सभा सदस्यों तथा उनके परिवारों ने एक ही वर्ष में एक से अधिक बार यात्राएं कीं तथा एक से अधिक बार की गई यात्राओं के लिए ₹ 47.61 लाख आहरित किए।

न्याय प्रशासन विभाग (महाअधिवक्ता)

विधि अधिकारियों का दोषपूर्ण चयन वर्कलोड आकलित किए बिना आवेदन-पत्र आमंत्रित किए बिना विधि अधिकारियों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ की बेकार मजदूरी का भुगतान हुआ।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	
सड़क के एक भाग के पुनर्निर्माण पर परिहार्य व्यय	पी.डब्ल्यू.डी. तथा हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड द्वारा उसी सड़क को चौड़ा करने और सुदृढ़ करने पर व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	
मंहगी सामग्री के क्रय पर परिहार्य व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ने कम लागत वाली निम्न कार्बन गल्वेनाइज्ड केज टाईप वी वायर वाऊंड (एल.सी.जी.) स्क्रीन की बजाय उच्च लागत स्टेनलैस स्टील केज टाईप वी वायर वाऊंड (एस.एस.) स्क्रीन प्रापण की परिणामतः ₹ 89 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	
चमक रहित गेहूं के प्रापण के कारण हानि	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, कैथल और कुरूक्षेत्र ने भारतीय खाद्य निगम के लिए चमक रहित गेहूं का प्रापण किया जिस पर ₹ 1.46 करोड़ की कटौती, रिफंड पर लगाई गई परिणामतः राज्य सरकार को हानि हुई।
परिवहन विभाग	
बस चैसिज की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	परिवहन विभाग द्वारा मोलभाव की गई दरों पर विचार किए बिना टाटा निर्मित 337 बस चैसियों की खरीद पर ₹ 2.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।
नगर और ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	
पैट्रोल पंपों से पट्टा किराए की अवसूली	देय किराए की वसूली में चार संपदा अधिकारियों की विफलता, तीन वर्षों बाद किराए में संशोधन, बाद में प्रस्थापित पैट्रोल पंपों के अतिरिक्त फिलिंग प्वाइंट के लिए किराए के अप्रभारण के कारण हुआ ₹ 5.25 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।
शिक्षा विभाग	
एजुसैट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठापित टर्मिनलों का गैर-कार्यचालन	उत्कर्ष सोसायटी द्वारा मानीटरिंग की कमी के कारण इसरो द्वारा उपकरण की अनापूर्ति, आर.ओ.टीज की मरम्मत के लिए अभिप्रेत निधियों का अवरोधन और 93 आर.ओ.टीज के पता ठिकानों की अनुपलब्धता के अतिरिक्त एजुसैट कार्यक्रम के अधीन ₹ 90.59 करोड़ व्यय करके प्रतिष्ठापित 56 प्रतिशत टर्मिनल निष्क्रिय रहे।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	
सरकारी खाते में राशियां जमा न करवाने के कारण ब्याज की हानि	निधियों को सरकारी खाते में स्थानांतरित न करने के कारण सरकार को ₹ 1.30 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों को बैंक में ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में रखने के कारण ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बाढ़ जल अपवाहिका के निर्माण पर निष्फल व्यय	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या-1, कैथल द्वारा अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए उचित प्रबंध किए बिना, पुण्डरी कस्बे में बाढ़ जल अपवाहिका तथा पंप हाउस के निर्माण पर किए गए व्यय को निष्फल बनाते हुए ₹ 1.55 करोड़ की राशि व्यय की।
अंबाला शहर की सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय	राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के साथ ट्रंक सीवर डालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना, अंबाला शहर में सीवरेज स्कीम पर कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	
अपूर्ण भवन पर निष्फल व्यय	अनुमानों को सही न बनाने से तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा निर्माण कार्य की व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थल निरीक्षण न करके भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 88.89 लाख का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि जिला सैनिक विश्राम गृह, यमुनानगर का भवन अधूरा रहा।
परिवहन विभाग	
चालकों तथा परिचालकों की कमी के कारण बसों की अनुपयोगिता	बसों को चलाने के लिए स्टाफ की व्यवस्था किए बिना बसों के प्रापण के परिणामस्वरूप उनका 53 प्रतिशत की सीमा तक कम उपयोग हुआ, इसके अतिरिक्त जे.एल.एन.आर.एम. उद्देश्यों की अप्राप्ति हुई।
कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)	
दोषपूर्ण आयोजना के कारण एग्री मॉल के अधूरे भवनों के निर्माण पर निधियों का अवरोधन	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पंचकूला, करनाल, पानीपत तथा रोहतक में चार एग्री मॉल का निर्माण उनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों तथा ड्राइंग्स को अन्तिम किए बिना आरंभ किया परिणामस्वरूप ये भवन अधूरे रह गए, जिससे ₹ 132.52 करोड़ का अवरोधन हुआ।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	
उपकर की वापसी से ठेकेदारों को अनुचित लाभ	ठेकेदारों को मजदूरी उपकर की वापसी के परिणामस्वरूप हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 63.62 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा।
सोसायटी को अनुचित लाभ	₹ 11.09 करोड़ की लागत पर रोहतक में निर्मित एक स्कूल इमारत एक शिक्षा सोसायटी को ₹ 100 प्रतिवर्ष की टोकन लीज राशि पर पट्टे पर दे दी गई। परिणामतः, सोसायटी को अनुचित लाभ हुआ।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग	
निजी कॉलोनी निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करना	लाइसेंसों का नवीकरण न करने से ₹ 1.86 करोड़ राशि की नवीकरण फीस कालोनी निर्माताओं से अवसूली रह गई। आगे, बैंक गारंटियों की पुनर्वैधता निगरानी के लिए प्रणाली न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ की बैंक गारंटियां समाप्त हो गईं।

IV मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

तकनीकी शिक्षा विभाग

तकनीकी शिक्षा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योगों के साथ अन्य सैक्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर को सम्मिलित करते हुए अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग की लेखापरीक्षा ने प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध स्कीमों के कार्यान्वयन में त्रुटियां तथा कक्षाओं, छात्रावासों, डिस्पेन्सरियों आदि हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचना प्रकट की। विभाग के अनिवार्य ध्यान की आवश्यकता वाले अनेक चिंता के क्षेत्र एवं मामले हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखना	पॉलीटैकिनकों द्वारा तुरन्त आवश्यकता के बिना आहरित ₹ 14.53 करोड़ की राशि सरकारी लेखे से बाहर रही।
सहायता अनुदान आवश्यकता से अधिक जारी किए गए	2007-12 के दौरान एक अभियांत्रिकी कॉलेज को निर्मुक्त ₹ 27 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹ 12.22 करोड़ की राशि (45 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़ी थी।
पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम	विद्यार्थियों को ₹ 17.17 लाख का अनुरक्षण भत्ता उनके हकदारी के आधिक्य में दिया गया था।
फैकल्टी विकास कार्यक्रम	फैकल्टी विकास कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए ₹ 3.09 करोड़ की राशि अतिथि अध्यापकों को वेतन के भुगतान के प्रति विपथित की गई थी।
एस.सी. विद्यार्थियों को कंपीटीशन/प्लेसमेंट के लिए विशेष कोचिंग	अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के प्रवेश के लिए प्री-एडमिशन प्रशिक्षण के लिए ₹ 15.88 करोड़ की राशि उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना निर्मुक्त की गई थी। विभाग द्वारा अल्प मानीटरिंग ने अनेक चूकें सुसाधित की जिससे सर्विस प्रदाता को लाभ हुआ।
स्टाफ की अव उपयोगिता	विभाग ने बंद हुए व्यवसायिक संस्थाओं के टीचिंग स्टाफ की सेवाएं उपयोग करने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया था।

2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4
जिला लेखापरीक्षा गुड़गांव

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त महत्व को पहचानते हुए जिले के एकीकृत स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए वित्तों की सुपर्दगी हेतु एक जिला केन्द्रित पहुंच अपनाई गई। 2007-12 के दौरान जिले में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास की गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रभाव आकलित करने के लिए गुड़गांव जिले की जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा की गई और यह भी मूल्यांकित करने के लिए कि जिले में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है।

विशिष्टताएं

- जिला आयोजना समिति (डी.पी.सी.) ने जिले के संपूर्ण विकास के लिए सभी गतिविधियों को आवृत करने के लिए एकीकृत जिला योजना तैयार नहीं की थी।
- जिले में चिकित्सा केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत संरचना, चिकित्सकों इत्यादि की कमी थी।
- 2009-12 की अवधि के दौरान स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रमों हेतु आवंटित ₹ 83.06 लाख की राशि की निधियां डी.पी.सी. द्वारा प्रयुक्त नहीं की गईं।
- लेखापरीक्षा ने प्राथमिक/अपर प्राथमिक स्कूलों में मूलभूत संरचना/सुविधाओं की उपलब्धता में कमियां अवलोकित की।
- पचास गांवों में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम पेयजल प्रदान नहीं किया गया था।
- सीवरेज सुविधाएं तीन नगरों अर्थात् गुड़गांव, हेली मंडी तथा सोहना में प्रदान की गई थी तथा दो नगरों अर्थात् पटौदी तथा फरूख नगर में प्रदान नहीं की गई थी।
- सोहना नगर में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट प्रदान नहीं किया गया था।
- भौतिक सत्यापन किए गए 21 गांवों में से 11 गांवों में सड़कों की स्थितियां वाटर लॉगिंग के कारण असंतोषजनक थी।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियां थी, जैसे बोगस राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभग्राहियों को खाद्यान्नों के वितरण में विलंब, पर्यवेक्षण की कमी इत्यादि।
- विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की कमी, अस्त्र-शस्त्र और वाहनों और पुलिस कर्मियों के लिए रिहायशी आवासों की भारी कमी थी।
- ई-दिशा केंद्र पर यथा विचारित सभी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही थी तथा नागरिकों को विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता था।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम

आयोजना

- जिला आयोजना समिति (डी.पी.सी.) का गठन नवंबर 2007 में किया गया था और 2007-12 के दौरान 17 बैठकों की आवश्यकताओं के विरुद्ध केवल छः बैठकें आयोजित की गईं।
- डी.पी.सी. ने अन्य उपलब्ध संसाधनों, विशेषतः केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सकलता पर विचार किए बिना जिला विकास योजना अनुमोदित की।
- एक एकीकृत जिला योजना तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए खंडों और ग्राम पंचायतों से इनपुट्स की अनुपस्थिति में समाज की अनुभूत आवश्यकताएं जिले के भीतर पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं की जा सकी।

वित्तीय प्रबंधन तथा लेखांकन ढांचा

- ₹ 298 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध 2007-12 के दौरान ₹ 259.04 करोड़ खर्च किए गए थे तथा ₹ 38.96 करोड़ कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित पड़े रहे।
- निधियां, जैसे ही ये अगले स्तर अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) को जारी की गई थी, व्ययित दर्शाई गई थी, जैसे ही ये ब्लाकों को जारी की गई थी, निधियों की उपयोगिता दर्शाई गई तथा ब्लाकों ने, बारी में, निधियों की वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना जी.पी.ज को निमुक्ति पर उपयोगिता दर्शाई।

सामाजिक सेवाएं

स्वास्थ्य

- जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (डी.एच.एफ.डब्ल्यू.) समिति द्वारा संपूर्ण मिशन अवधि (2005-12) के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तथा सरकार के निम्नतर स्तरों से इनपुट्स के साथ जिले के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार की जानी अपेक्षित थी। केवल 2009-10 तथा 2010-11 वर्ष के लिए जिला स्वास्थ्य योजनाएं तैयार की गई थी तथा परिप्रेक्ष्य योजना पूरी मिशन अवधि के लिए तैयार नहीं की गई थी।
- सी.एच.सी.ज के मामले में 77 प्रतिशत, पी.एच.सी.ज के लिए 74 प्रतिशत, एस.सी.ज के लिए 75 प्रतिशत की सीमा तक मूलभूत संरचना की कमी थी।
- 2007-12 की अवधि के लिए कुल बन्धीकरण के संबंध में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।
- मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी सुविधाएं उप-मंडलीय अस्पताल, हेली मंडी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पटौदी में उपलब्ध नहीं थी।

शिक्षा

- 2009-12 की अवधि के दौरान स्कूल से बाहर बच्चों के लिए ब्रिज कोर्सों के लिए आबटिट ₹ 83.06 लाख की राशि की निधियां डी.पी.सी. गुड़गांव द्वारा प्रयुक्त नहीं की गई थी।
- लेखापरीक्षा ने प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में मूलभूत संरचना/सुविधाओं की उपलब्धता में कमियां अवलोकित की।

जलापूर्ति

- जिले के सभी गांवों में पेय जल उपलब्ध करवाया जा रहा था। तथापि, पचास गांवों में जलापूर्ति 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के निर्धारित मानक से कम थी।
- निवासियों को, जल की गुणवत्ता, अपेक्षित जल नमूना परीक्षण आयोजित करके सुनिश्चित नहीं की जा रही थी। परिणामस्वरूप, जिले में पानी से उत्पन्न रोगों के काफी मामले देखे गए।
- विद्युत कनेक्शन की अनुपस्थिति के कारण 35 संवर्धन जलापूर्ति स्कीमों को चालू करने में विलंब था, जिससे वे निष्क्रिय रही, इससे सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति से निवासी वंचित रहे।

स्वच्छता सुविधाएं

तीन नगरों अर्थात् गुड़गांव, हेली मंडी और सोहना में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की गई थी तथा दो नगरों अर्थात् पटौदी और फरूखनगर में प्रदान नहीं की गई थी।

रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जिले में अप्रैल 2008 से क्रियान्वित की जा रही थी। स्कीम का मूल उद्देश्य स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियां सृजित करने, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और अन्यो में सामाजिक समानता पैदा करने के अलावा कम से कम 100 दिनों के आश्वस्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

- जिला परिप्रेक्ष्य विकास योजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा तैयार नहीं की गई।
- सोहना खंड में अपर-उपायुक्त और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के अभिलेखों में अंतिम शेषों की भिन्नता थी।
- 2008-12 के दौरान 100 दिनों के गारंटी रोजगार के विरुद्ध, वस्तुतः प्रदत्त रोजगार 29 और 41 दिनों के मध्य श्रृंखलित था।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में स्वयं रोजगार के सभी पहलुओं जैसे प्रशिक्षण के लिए गरीबों का एस.एच.जी. में संगठन, ऋण संग्रह, प्रौद्योगिकी सुधार, मूलभूत संरचना विकास तथा बाजार संयोजन को आवृत्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

- ₹ 21.85 लाख की एक राशि अप्रयुक्त पड़ी थी जो हाटस के निर्माण के लिए निर्मुक्त की गई थी।
- मार्च 2012 तक केवल 36 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई। एस.एच.जी. का अल्प निष्पादन, डी.आर.डी.ए. द्वारा उनकी परियोजनाओं के उचित अनुसरण की कमी दर्शाता है।

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य मुख्यतः एस.सी./एस.टी. के सदस्यों, मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा अन्य गैर एस.सी./एस.टी. गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता करना है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

- गुडगांव और सोहना खंड में, सरकार को भेजी गई संबंधित वर्षों की विवरणी में प्राप्त निधियां प्रयुक्त दर्शाई गई थी परंतु इन खंडों में अप्रयुक्त शेष पड़े थे जो सरकार को गलत व्यय की रिपोर्टिंग दर्शाता है।
- सभी आवासीय इकाइयां पूर्ण की गई दर्शाई गई थी जबकि चयनित खंडों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया कि 33 लाभग्राहियों ने अपनी आवासीय इकाइयां पूर्ण नहीं की थी। यह स्कीम की अल्प मानीटरिंग दर्शाती है।

आर्थिक सेवाएं

सड़कें

जिले में अच्छी तरह से जुड़ी हुए सभी मौसमों के लिए अच्छी सड़कें हैं। मार्च 2012 को जिले की सड़क लंबाई 720 किलोमीटर थी तथा सभी गांव मैटालिक सड़कों से संयोजित थे। तथापि, भौतिक रूप से जांच किए गए 21 गांवों में से 11 गांवों में सड़कों की स्थिति जलभराव के कारण असंतोषजनक थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ सोसायटी/कम्युनिटी के विशेष रूप से कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

- 5,364 एम.टी. के आबंटन के विरुद्ध, कोई गेहूं नहीं उठाया गया था।
- जिले में 1,90,095 परिवारों के विरुद्ध जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय ने जिले में तीन श्रेणियों अर्थात् गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों को 2,39,068 राशनकार्ड जारी किए थे। जुलाई 2012 को जिले में 48,973 जाली राशनकार्ड थे।

सामान्य सेवाएं

पुलिस सेवाएं

जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पुलिस आयुक्त, गुड़गांव को जिले में अपराध की रोकथाम और पता लगाने और कानून और व्यवस्था के अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है। विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की कमी, पुलिस कार्मिकों के लिए शस्त्रागार एवं वाहनों तथा रिहायशी आवासों की भारी कमी थी।

ई - गवर्नेंस

ई-दिशा सरकार और नागरिकों के बीच आई.टी. चलित इलैक्ट्रॉनिक अंतरापृष्ठ है। जिला स्तरीय ई-दिशा केन्द्र द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस, हथियार लाईसेंस, वाहन पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्रों के निर्गम कई सामाजिक कल्याण स्कीमों के लिए आवेदनों की प्राप्ति, नागरिकों की शिकायत का तुरंत निदान और राजस्व अभिलेखों और गृह कर डाटा क्यूरीज के लिए टच स्क्रीन कयोस्क्स से संबंधित सेवाएं प्रदान की जानी थी। यह अवलोकित किया गया कि जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के निर्गम, विभिन्न सामाजिक कल्याण स्कीमों के लिए आवेदनों की प्राप्ति तथा गृह कर डाटा क्यूरीज संबंधी सेवाएं केन्द्र में प्रदान नहीं की जा रही थी।

